



Neutral Citation No. 2026:AHC:17202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 254 / 2026

सुमन लता

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

राजस्व परिषद उ.प्र. और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

अपराजित यादव श्याम लाल यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता प्रदीप सिंह

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अपराजित यादव राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. यह रिट याचिका परमादेश की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह निर्देश दिया गया है कि वह पक्षों के बीच चल रहे पुनरीक्षण संख्या 95/2025 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या 202516670095) "प्रदीप कुमार बनाम सुमन लता और अन्य" को उ० प्र० उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के तहत दिनांक 3.1.2025 तक एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करे।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत शुरू हुई कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण याचिका जिसे निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दायर किया था और जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार बनाया गया था 3.1.2025 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर किया जाए। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

22 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"